1314024
31/5/13

पत्र सं0- विधि-4(2)-सामान्य निर्देश -2013-14/ 340 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक 31, मई, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

इस प्रकार के तथ्य संज्ञान में आए हैं कि कर निर्धारण कार्य में कार्यरत अधिकारी वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में ही कर निर्धारण की कार्यवाही करते हैं और इस कारण इस कार्यवाही से जो राजस्व की माँग सृजित होती है उसकी प्राप्ति संगत वर्ष में नहीं हो पाती है क्योंकि यह सृजित माँग अपरिपक्व रह जाती है। इसके अतिरिक्त इससे कर निर्धारण कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और अनेक प्रकरणों में इससे राजस्व भी प्रभावित हो जाता है।

अत: कार्यहित में तथा राजस्व हित में यह आवश्यक है कि कर निर्धारण कार्य को वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों के लिए लम्बित न रखते हुए इस कार्यवाही का निष्पादन कुल वादों की संख्या का माहवार Pro rata आंकलन करते हुए किया जाए। इससे जहाँ वादों का निस्तारण उचित प्रकार संभव हो सकेगा वहीं इन वादों के निस्तारण से सृजित राजस्व की प्राप्ति भी संगत वर्ष में ही संभव हो सकेगी तथा इससे कार्य की गुणवत्ता भी अपेक्षानुरूप रह सकेगी।

अत: यह निर्देश दिए जाते हैं कि सभी ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) अपने संभाग में कार्यरत सभी कर निर्धारण अधिकारियों का वादों के निस्तारण का तत्काल माहवार मानक निर्धारित करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि कर निर्धारण अधिकारी तदनुसार कर निर्धारण की कार्यवाही करें। मानक का यह निर्धारण Pro rata आंकलन की दृष्टि से किया जाए ताकि वर्ष के अन्त में कर निर्धारणकी कार्यवाही को उसी अनुपात में वाद निस्तारण हेतु अवशेष रहें जिस अनुपात में अन्य माहों में उनके निस्तारण हेतु मानक निश्चित किए गए हैं। इस कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की मासिक बैठक में की जाएगी।

उक्त कार्य से संबंधित कार्यवाही का विवरण संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) निम्न प्रारूप में मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे -

क्रमांक	संभाग का नाम	कर निर्धारक अधिकारी का नाम व पद	निस्तारण हेतु दिनांक 1-6-2013 को लम्बित वर्ष 2010-11 के वाद	माह में प्राप्त / अन्तरित वाद	निस्तारण हेतु कुल वाद (4+5)	माह में निस्तारण हेतु मानक	माह तक निस्तारण हेतु मानक	माह में निस्तारित वादों की संख्या	माह तक निस्तारित वादों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु अवशेष वाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चूंकि इस वर्ष 2010-11 के वाद कालवाधित होने हैं , अत: उक्तानुसार कार्यवाही वर्ष 2010-11 के वादों के संबंध में निष्पादित किए जाने के निर्देश निर्गत किए जाते हैं । इसी प्रकार की कार्यवाही के निर्देश अग्रेत्तर वित्तीय वर्षों में कालवाधित होने वाले नियमित वादों के लिए भी तदनुसार लागू होंगे ।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त कार्य का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

31/5/13

(बीरेश कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश